न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 14/2016 एवं 31/2016 जिला सीकर

1. रामसिंह पुत्र श्योनारायण सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम दीपावास तहसील नीमकाथाना जिला सीकर (राजस्थान) जरिये मुख्तयार श्री सोरभ गोयल पुत्र श्री राकेश गोयल ,जाति महाजन, निवासी डी– 1020 न्यू फ्रेंडस कालोनी नई दिल्ली 65
2. रामसिंह पुत्र नारायण सिंह जाति राजपूत, निवासी ढाणी बिन्दाला तन टोडा, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर (राजस्थान) जरिये मुख्तयार ईश्वरदयाल गुप्ता पुत्र श्री रामस्वरूप गुप्ता, जाति महाजन, निवासी 1997 न्यू फ्रेंडस कालोनी नई दिल्ली 24
3. भंवर कंवर पत्नि जसवंत सिंह (मृतक दौराने अपील नाम हजफ)
4. सदा कंवर
5. ओम कंवर
6. नन्दु कंवर

समस्त पुत्रियॉ स्व. जसवंत सिंह, जाति राजपूत, निवासी ढाणी उपरला बाढ तन टोडा, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर (राजस्थान) जरिये मुख्तयार राकेश गोयल पुत्र बलवंत सिंह गोयल निवासी डी 10–20 न्यू फ्रेंडस कालोनी नई दिल्ली 65

7. लाड कंवर पत्नि शिवराम सिंह
8. अनोप कंवर पत्नि शिवराम सिंह
9. सोहन सिंह पुत्र शिवराम सिंह
10. विजेन्द्र सिंह पुत्र शिवराम सिंह

समस्त जाति राजपूत, निवासी उपरला बाढ तन टोडा, तहसील नीमकाथाना जिला सीकर (राजस्थान) जरिये मुख्तयार मधु गोयल पत्नि राकेश गोयल, निवासी डी 10–20 न्यू फ्रेंडस कालोनी नई दिल्ली 65

वि॰ अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपीलान्ट्स

बनाम

1. सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियां सीकर
2. भूमि धारक तहसीलदार नीमकाथाना, जिला सीकर

रेस्पोंडेन्ट्स

3. चिन्टू कंवर पुत्री भंवर कंवर पत्नि मदन सिंह, निवासी ग्राम लोहरवाडा तहसील चौमू, जिला जयपुर ।
4. मंजू कंवर पुत्री शिवराम सिंह पत्नि सांवत सिंह, निवासी ग्राम लोहरवाडा तहसील चौमू, जिला जयपुर ।
5. नरेन्द्र सिंह पुत्र शिवराम सिंह
6. जितेन्द्र सिंह पुत्र शिवराम सिंह
7. संदीप सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह

8. बिन्दू कंवर पत्नि राजेन्द्र सिंह
निवासी ढाणी उपरला बाढ तन टोडा, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर ।

तरतीबी रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर
दिनांक 2.2.2016

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री श्याम सुन्दर खण्डेलवाल
2. राजकीय अधिवक्ता

अपील संख्या 31/2016 जिला सीकर

1. मैसर्स श्री फूडस द्वारा सोल प्रोपराईटर सुनिल दत्त मलिक पुत्र बनवारी लाल मलिक, निवासी एच–33 तृतीय मंजिल, साउथ एक्स, पार्ट–1, नई दिल्ली 110049 आफिस देवीका टावर–6, नेहरू पैलेस, 10 वीं मंजिल , 10 फ्लोर, 1001 ए, दिल्ली 19

अपीलार्थी

बनाम

1.रामसिंह पुत्र श्योनारायण सिंह जाति राजपूत, निवासी ग्रम दीपावास, तहसील नीमकाथाना जिला सीकर (राजस्थान)

2.रामसिंह पुत्र नारायण सिंह, जाति राजपूत, निवासी ढाणी बिन्दाला तन टोडा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर (राजस्थान)

3.भंवर कंवर बेवा जसवंत सिंह, जाति राजपूत, निवासी ढाणी उपरला बाढ तन टोडा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर (राजस्थान) (मृतक)

3/1 चिन्टू कंवर पुत्री भंवर कंवर पत्नि मदन सिंह, निवासी ग्रम लोहरवाडा तहसील चौमू जिला जयपुर ।

3/2 मंजू कंवर पुत्री शिवराम सिंह पत्नि सांवतसिंह, निवासी ग्रम लोहरवाडा तहसील चौमू जिला जयपुर ।

3/3 नरेन्द्र सिंह पुत्र शिवराम सिंह

3/4 जितेन्द्र सिंह पुत्र शिवराम सिंह

3/5 संदीप सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह

3/6 बिन्दू कंवर पत्नि राजेन्द्र सिंह

निवासी ढाणी उपरला बाढ तन टोडा, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर (राजस्थान)

4 सदा कंवर पुत्री जसवंत सिंह, पत्नि रामकुमार, जाति राजपूत, निवासी ढाणी उपरला बाढ तन टोडा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर (राजस्थान) हाल निवासी ग्रम भूनावास, पुलिस थाना परागपुरा, तहसील कोटापूतली, जिला जयपुर (राज.)

5. ओम कंवर पुत्री जसवंत सिंह पत्नि कमलपाल सिंह, जाति राजपूत, निवासी ढाणी उपरला बाढ तन टोडा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर (राजस्थान) हाल निवासी ग्रम भूनावास, पुलिस थाना परागपुरा, तहसील कोटापूतली, जिला जयपुर (राज.)

6. नन्दु कंवर पुत्री जसवन्त सिंह पत्नि बजरंग सिंह, जाति राजपूत, निवासी ढाणी उपरला बाढ तन टोडा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर (राजस्थान) हाल निवासी ग्रम भूनावास, पुलिस थाना परागपुरा, तहसील कोटापूतली, जिला जयपुर (राज.)

7. लाड कंवर बेवा शिवराम सिंह, जाति राजपूत, निवासी ढाणी उपरला बाढ तन टोडा तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर (राजस्थान)

8. अनोप कंवर पत्नि शिवराम सिंह पत्नि श्याम सिंह, जाति राजपूत, निवासी ढाणी उपरला बाढ तन टोडा तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर (राजस्थान) हाल निवासी ग्रम लोहरवाडा तहसील चौमू, जिला जयपुर (राजस्थान)

9. सोहन सिंह पुत्र शिवराम सिंह, जाति राजपूत, निवासी ढाणी उपरला बाढ तन टोडा तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर (राजस्थान)

10.विजेन्द्र सिंह पुत्र शिवराम सिंह, जाति राजपूत, निवासी ढाणी उपरला बाढ तन टोडा, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर (राजस्थान)

11.सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियां सीकर

12.लैण्ड होल्डर भूमिधारी तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर (राजस्थान)

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर
दिनांक 2.2.2016

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री गोपाल शर्मा
2. वकील रेस्पोंडेन्ट श्री श्याम सुन्दर खण्डेलवाल

निर्णय

दिनांक – 11.2.2019

यह दोनों अपीलें राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर के निर्णय दिनांक 2.2.2016 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है । दोनों अपीलों के तथ्य, विषयवस्तु, पक्षकार, एवं निर्णय किये जाने वाले बिन्दु समान होने के कारण इन दोनों अपीलों का निर्णय एक ही आदेश के द्वारा किया जा रहा है । निर्णय की प्रति दोनों पत्रावलियों में रखी जावे । दोनों प्रकरणों के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर के समक्ष रामसिंह पुत्र श्योनारायण, रामसिंह पुत्र नारायण, भंवर कंवर, सदा कंवर, औम कंवर, नरेन्द्र कंवर, लाड कंवर, अनोप कंवर, सोहन सिंह, बिजेन्द्र सिंह पुत्रान शिवराम सिंह द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम बाबत दुरूस्ती करवाने प्रस्तुत किया , जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि –

1. खसरा नम्बर 7 रकबा 34 बीघा,
3. खसरा नम्बर 8 रकबा 37 बीधा
4. खसरा नम्बर 10 रकबा 16 बीघा
5. खसरा नम्बर 304 रकबा 44 बीघा
6. खसरा नम्बर 305 रकबा 212 बीघा
7. खसरा नम्बर 306 रकबा 249 बीघा
8. खसरा नम्बर 307 रकबा 72 बीघा 14 बिस्वा
9. खसरा नम्बर 308 रकबा 11 बीघा 7 बिस्वा
10. खसरा नम्बर 309 रकबा 45 बीघा 13 बिस्वा
11. खसरा नम्बर 310 रकबा 93 बीघा 5 बिस्वा
12. खसरा नम्बर 3 रकबा 34 बीघा 17 बिस्वा
13. खसरा नम्बर 4 रकबा 68 बीघा 19 बिस्वा
14. खसरा नम्बर 5 रबा 51 बीघा 17 बिस्वा
15. खसरा नम्बर 6 रकबा 72 बीघा

कुल 1221 बीघा 14 बिस्वा वाके ग्रम रामल्यास, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर के पूर्व खातेदारान भोमियां, पाना, रामचन्द्र, सायब सिंह, जयराम थे । खातेदारान द्वारा अपनी भूमि की सही समय पर काश्त नहीं करने से हमेशा के लिए उक्त कब्जा शुदा भूमि जरिए पंजीकृत पट्टा काश्त स्वामी हेतु दिनांक 31.10.1957 को प्रार्थीगण वं अन्य कब्जा काश्तकारा के पूर्वजन श्री बिहारी लाल पुत्र हरदेव लाल, बंशीधर पुत्र गुलझारी लाल वैश्य निवासी टोडा व राधेश्याम पुत्र बद्री प्रसाद निवासी टोडा, जसवन्त सिंह पुत्र रूघनाथ सिंह जाति राजपूत

निवासी ढाणी उपला बाड तन टोडा, रामसिंह ढाणी बिन्दाला, रामसिंह राजपूत दीपावास, द्वारकेस पुत्र मदन लाल ब्राह्मण निवासी रायपुर जागीर को दे दी गई थी तब से उक्त कृषक एवं इनके वारिसान प्रार्थीगण एवं अन्य बहैसियत खातेदार कब्जा काश्त चले आये हैं । भूमि में अत्यधिक पूंजी एवं कठिन परिश्रम कर उपजाउ बना रखी है तथा आवासीय मकानात बनाकर आबाद चले आये हैं।

राजकीय योजना के अनुसार सिंचाइ हेतु फव्वारे लेने के लिए एजेन्सी से दिनांक 5.5.2011 को सम्पर्क किया तो उन्होंने कहा कि आपकी कब्जा काश्त की जमाबन्दी लाओ तो प्रार्थीगण ने अपनी कब्जा काश्त खातेदारी भूमि की जमाबन्दी निकलवाई और उसे पटवारी को दिखाने पर उन्होनें कहा कि भूमि वाके ग्राम रामल्यास में स्थित भूमि खसरा नम्बर 7/1 रकबा 2.72 है., खसरा नम्बर 8/1 रकबा 1.77 है., खसरा नम्बर 304 रकबा 3.65 है., खसरा नम्बर 305/5 रकबा 3.84 है., खसरा नम्बर 306/1 रकबा 22.27 है., खसरा नम्बर 307 रकबा 18.39 है., खसरा नम्बर 308 रकबा 27.86 है., खसरा नम्बर 309 रकबा 12.05 है., खसरा नम्बर 310 रकबा 23.59 है. कुल किता 9 कुल रकबा 166.14 है. प्रार्थीगण के नाम से है, लेकिन उक्त भूमि खातेदारी में सहकारी कृषि समिति टोडा के नाम अंकित है । जबकि सहकारी कृषि समिति टोडा के नाम से ग्रम टोडा में कोई समिति ही नहीं है ना ही कभी उक्त समिति का प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि से कभी कोइ संबंध रहा है । सहवन से प्रार्थीगण की खातेदारी कब्जा काश्त की भूमि के राजस्व रिकार्ड में सहकारी कृषि समिति टोडा का गलत अंकन हो गया । अतः ग्रम रामल्यास में स्थित भूमि खसरा नम्बर 7/1 रकबा 2.72 है., खसरा नम्बर 8/1 रकबा 1.77 है., खसरा नबर 304 रकबा 3.65 है., खसरा नम्बर 305/5 रकबा 3.84 है., खसरा नम्बर 306/1 रकबा 22.27 है., खसरा नम्बर 307 रकबा 18.39 है., खसरा नम्बर 308 रकबा 27.86 है., खसरा नम्बर 309 रकबा 12.05 है., खसरा नम्बर 310 रकबा 23.59 है. कुल किता 9 कुल रकबा 166.14 है. के राजस्व रिकार्ड में लिपिकीय भूल से अंकित सहकारी कृषि समिति टोडा का अंकन हटाकर दुरूस्त किये जाने हेतु लैण्ड होल्डर नीमकाथाना को निर्देश फरमावें । प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ नकल जमाबन्दी संवत 2057—2060 , फोटो प्रति पट्टा (पंजीकृत) फोटो प्रति हिन्दी रूपान्तर पंजीकृत पट्टा, प्रमाणित प्रति गिरदावरी संवत 2012 पेश गई।

उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना ने उक्त प्रार्थना पत्र पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 2.2.2016 पारित किया कि " प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड, पत्राचार तथा भूमि अधिग्रहण एवं आवंटन से यह बखूबी जाहिर हो रहा है कि सहकारी समिति का कब्जा काश्त नहीं रहा है । भूमि अवाप्त की जा चुकी है, समिति के सदस्यों द्वारा मुआवजा भी लिया जा चुका है । समिति का अवसायन {liquidation] हो चुका है । वर्तमान में भी कोई समिति नहीं है । मिसल

बन्दोबस्त के अनुसार विवादित आराजी राजकीय सिवायचक भूमि हैं। प्रकरण लिपिकीय त्रुटि को दुरूस्त करने का नहीं है । रिकार्ड दुरूस्ती के माध्यम से प्रार्थीगण सिवायचक भूमि गै.मु. पहाड की खातेदारी अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं, जो विधि विरूद्ध है । वन विभाग के दस्तावेजात/ पत्रादि से जाहिर होता है कि ग्प्रम रामल्यास के अन्य खसरा नम्बरान के साथ खसरा नम्बर 7, 305, 306, 307, 308 वन खण्ड गांवडी में आये हुए हैं, राजस्व रिकार्ड वन विभाग के नाम से दर्ज होना चाहिए था । उक्त विवेचन के आधार पर प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्य, परिस्थितियों, प्रस्तुत किये गये दस्तावेजात तथा दौराने सुनवाई विद्वान अधिवक्ता एवं पैरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्क वितर्कों को ध्यान में रखते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत होना नहीं पाया जाता है । अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत रिकार्ड दुरूस्ती अस्वीकार किया जाता है । तहसीलदार नीमकाथाना को आदेश दिया जाता है कि सहकारी कृषि समिति टोडा के सदस्यों के नाम से दर्ज भूमि खसरा नम्बर 7/1 रकबा 2.72 है., खसरा नम्बर 8/1 रकबा 1.77 है., खसरा नबर 304 रकबा 3.65 है., खसरा नम्बर 305/5 रकबा 3.84 है., खसरा नम्बर 306/1 रकबा 22.27 है., खसरा नम्बर 307 रकबा 18.39 है., खसरा नम्बर 308 रकबा 27.86 है., खसरा नम्बर 309 रकबा 12.05 है., खसरा नम्बर 310 रकबा 23.59 है. कुल किता 9 कुल रकबा 166.14 है. अवस्थित ग्प्रम रामल्यास को राज्य सरकार के पक्ष में अधिग्रहित करने की कार्यवाही करें । गजट नोटिफिकेशन के अनुसार वन विभाग के नाम खातेदारी दर्ज करते हुए शेष रकबा सिवायचक बिला लगानी दर्ज करने की नियमानुसार कार्यवाही करें । ''

उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना के उक्त निर्णय दिनांक 2.2.2016 से व्यथित होकर अपील संख्या 14/2016 के अपीलान्ट् द्वारा यह अपील मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने की प्रार्थना की एवं अपील संख्या 31/2016 के अपीलान्ट द्वारा अपील प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम की धारा 5, प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. के साथ प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 2.2.2016 को निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय करने हेतु रिमाण्ड किये जाने की प्रार्थना की ।

चित्रा अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

दोनों अपीलें प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

अपील संख्या 14/2016 उनवानी रामसिंह बनाम सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समिति में अपीलान्ट एवं अपील संख्या 31/2016 उनवानी मैसर्स श्री फूडस द्वारा सोल प्रोपराईटर सुनिल दत्त मलिक में रेस्पोंडेन्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील संख्या 14/2016 में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप

से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना ने अपीलान्ट्स की ओर से प्रस्तुत किये गये राजस्व रिकार्ड के अवलोकन किये बिना राजस्व रिकार्ड को अनदेखा कर तथ्यों व वास्तविक स्थिति के विपरीत मात्र तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित किया है, जो विधिसम्यक नहीं होने से निरस्तनीय है । जमाबन्दी संवत 2057–2060 में बंशीधर के फौत होने पर विरासत का नामांतरकरण प्रयाग नारायण व बिहारी लाल के स्थान पर विरासत का नामांतरकरण श्रीमती गेन्दी पत्नी बिहारी लाल, कैलाश चन्द, नाथू लाल पुत्र बिहारी लाल , विमला, सुमित्रा पुत्रयॅा बिहारी लाल के नाम, इसी प्रकार जसवंत सिंह के फौत होने पर उसकी बजाय भंवर कंवर बेवा जसवन्त सिंह , सदा कंवर, औम कंवर, नन्दु कंवर, सिन्दू कंवर पुत्रियॅा जसवंत सिंह के नाम से एवं राधेश्याम की विरासत का नामांतरकरण गिन्दोडी बेवा राधेश्याम, प्रेम, पुष्पा, विमला, सुधा पुत्रियॅा राधेश्याम, अनिल पुत्र राधेश्याम, सुशीला बेवा उमा शंकर के नाम स्वीकार हुआ एवं प्रयाग नारायण पुत्र हनुमान सहाय महाजन की विरासत का नामांतरकरण मेवा देवी बेवा प्रयाग नारायण, रविन्द्र कुमार पुत्र प्रयाग नारायण , ललिता , कमलेश, हेमलता, निर्मला, मुन्नी पुत्रियां प्याग नारायण के नाम स्वीकार हुआ । उक्त सभी नामांतरकरण पटवारी हल्का द्वारा भरे गये, जिन्हें तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा तस्दीक किये थे । उनका कहना था कि विवादित भूमि पर यदि अपीलान्ट्स का कब्जा काश्त नहीं होता तो उनके नाम विरासत के नामांतरकरण तस्दीक होना सम्भव नहीं था , इससे साफ जाहिर है कि अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व रिकार्ड को अनदेखा कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण एवं विधि विरूद्ध होने से खारिज होने योग्य है । उनका कहना था कि जमाबन्दी दिनांक 6.2.1968 में जिनके पक्ष में दिनांक 31.10.1957 को भूमियां रजिस्टर्ड पट्टे के द्वारा 7 व्यक्तियों को दी गई थी उसमें सहकारी कृषि समिति टोडा का नाम नहीं था । रजिस्ट्रार को–आपरेटिव सोसायटी सीकर से दिनांक 23.1.2013 को प्राप्त उत्तर में यह बताया गया है कि इस तरह की कोई सोसायटी का अस्तित्व नहीं है । तहसीलदार ने रिपोर्ट में यह अंकित किया है कि सहकारी समिति के सदस्यों को मुआवजा राशि देकर भूमि अवाप्त कर अवार्ड जारी किया गया है , यह आश्चर्यजनक स्थिति है कि जब इस नाम की कोई समिति अस्तित्व में ही नहीं थी व आज भी नहीं है तो उसे मुआवजा दिया जाना किसी भी प्रकार से संभव नहीं है । नामांतरकरण संख्या 1 को विधि विरूद्ध भरा जाना बताया है जबकि उक्त नामांतरकरण को किसी के भी द्वारा चुनौती नहीं दी गई है । तहसीलदार द्वारा रिपोर्ट आधी अधूरी बिना किसी आधार पर एवं तथ्यों को तोड – मरोड कर पेश की थी । तहसीलदार द्वारा समिति के किसी भी सदस्य द्वारा कब्जे काश्त बाबत कोई साक्ष्य या रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किये जाने का उल्लेख किया है , के संबंध में कहना है कि जब सहकारी समिति का कोई अस्तित्व ही नहीं है तो उनके द्वारा कब्जे काश्त बाबत साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता । अपीलान्ट्स का विवादित भूमि पर कब्जा

काश्त है । अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने पर प्रमाणित प्रति प्राप्त कर अपील मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की है । अतः न्यायहित में विलम्ब को क्षमा किया जाकर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे ।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि राजकीय सिवायचक भूमि है जिसमें से कुछ भूमि काश्कारों को आवंटित की थी , कुछ भूमि वन विभाग के नाम दर्ज हो चुकी है । विवादित भूमि संवत 2012 से ही राजकीय भूमि रही है । सहकारी समिति का कभी भी विवादित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं रहा ना ही समिति का वर्तमान में कोई अस्तित्व ही है । सहकारी समिति पूर्व में भंग हो चुकी थी जिसके सदस्यों का विवादित भूमि पर कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है । अतः तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना को प्रेषित रिपोर्ट राजस्व रिकार्ड के अनुसार होने से उसके आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया है , जो उचित एवं विधिसम्यक है । अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे ।

अपील संख्या 31/2016 उनवानी मैसर्स श्री फूडस द्वारा सोल प्रोपराईटर सुनिल दत्त मलिक के योग्य अधिवक्ता ने बहस में मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से 10 से विवादित भूमि जरिये इकरारनामा क्रय कर कब्जा प्राप्त कर लिया था, लेकिन रेस्पोंडेन्ट्स ने अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाया जिससे अपीलार्थी को अपना पक्ष रखने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ । उनका कहना था कि जमाबन्दी संवत 2045 से 2048 में द्वारकेस पुत्र मदन लाल ब्राह्मण का नाम अंकित था जिसका हिस्सा 1/7 जमाबन्दी में दर्ज था । द्वारकेस द्वारा दिनांक 15.12.2008 को जरिये विक्रय अनुबन्ध पत्र द्वारा भूमि अपीलान्ट को विक्रय कर समस्त प्रतिफल राशि प्राप्त कर कब्जा सुपुर्द कर दिया था तभी से अपीलान्ट भूमि पर काबिज काश्त है । अधीनस्थ न्यायालय ने संवत 2045 से 2048 की जमाबन्दी में अंकित द्वारकेस पुत्र मदन लाल ब्राह्मण के नाम को नजरन्दाज कर नोटिस जारी नहीं किया ओर द्वारकेस के हिस्से 1/7 की भूमि को वन विभाग की खातेदारी एवं सिवायचक दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया, जो न्याय की दृष्टि से उचित नहीं है । उनका कहना था कि द्वारकेस व अपीलांट प्रकरण में प्रभावित पक्षकार थे जिन्हे प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के परिपेक्ष्य में सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना आवश्यक था, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने उन्हें कोई नोटिस जारी नहीं किया व बिना सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये ही, अपीलाधीन आदेश पारित किया है , जो त्रुटिपूर्ण व विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है । अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 व प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. स्वीकार किये जाकर अपील प्रस्तुत करने की इजाजत प्रदान करते हुये अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को न्यायहित में क्षमा किया किया

प्रतिलिपि संभागीय आयुक्त जयपुर

जा...र अपील अपीलान्ट स्वीकार की जावे तथा अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना दिनांक 2.2.2016 निरस्त करते हुये अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जावे ।

रेस्पोंडेन्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस में मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि रेस्पोंडेन्ट्स की खरातेदारी व कब्जे काश्त की रही है । अपीलान्ट को इकरारनामें से विवादित भूमि खरीद करने के आधार पर प्रकरण में पक्षकार बनाया जाना व सुना जाना कानूनन उचित नहीं है । यदि अपीलान्ट के इकरारनामें के आधार पर कोई अधिकार विवादित भूमि में बनते हैं तो उन्हे सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर अपने हक हकूक तय कराने चाहिये । धारा 136 के अन्तर्गत अपीलान्ट के अधिकारों का निर्धारण विधिक रूप से नहीं हो सकता । अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जावे ।

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । प्रकरण में दोनों अपीलों के अपीलान्ट्स विवादित भूमि अपने नाम कराने की दृष्टि से अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर दिनांक 2.2.2016 को निरस्त कराना चाहते हैं । अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना ने अपीलान्ट रामसिंह वगैहरा का प्रार्थना पत्र धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 पर आदेश दिनांक 2.2.2016 पारित किया कि प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड, पत्राचार तथा भूमि अधिग्रहण एवं आवंटन से यह बखूबी जाहिर होने कि सहकारी समिति का कब्जा काश्त नहीं रहा है । भूमि अवाप्त की जा चुकी है, समिति के सदस्यों द्वारा मुआवजा भी लिया जा चुका है । समिति का अवसायन {liquidation] हो चुका है । वर्तमान में भी कोई समिति नहीं है । मिसिल बन्दोबस्त के अनुसार विवादित आराजी राजकीय सिवायचक भूमि है। प्रकरण लिपिकीय त्रुटि को दुरूस्त करने का नहीं है । रिकार्ड दुरूस्ती के माध्यम से प्रार्थीगण सिवायचक भूमि गै.मु. पहाड की खातेदारी अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं, जो विधि विरूद्ध है । वन विभाग के दस्तावेजात/ पत्रादि से जाहिर होता है कि ग्रम रामल्यास के अन्य खसरा नम्बरान के साथ खसरा नम्बर 7, 305, 306, 307, 308 वन खण्ड गांवडी में आये हुए हैं, राजस्व रिकार्ड वन विभाग के नाम से दर्ज होना चाहिए था । उक्त विवेचन के आधार पर प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्य, परिस्थितियों, प्रस्तुत किये गये दस्तावेजात तथा दौराने सुनवाई विद्वान अधिवक्ता एवं पैरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्क वितर्कों को ध्यान में रखते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत होना नहीं पाये जाने से प्रार्थना पत्र बाबत रिकार्ड दुरूस्ती अस्वीकार किया जाकर तहसीलदार नीमकाथाना को आदेश दिया गया कि सहकारी कृषि समिति टोडा के सदस्यों के नाम से दर्ज भूमि खसरा नम्बर 7/1 रकबा 2.72 है., खसरा

नम्बर 8/1 रकबा 1.77 है., खसरा नम्बर 304 रकबा 3.65 है., खसरा नम्बर 305/5 रकबा 3.84 है., खसरा नम्बर 306/1 रकबा 22.27 है., खसरा नम्बर 307 रकबा 18.39 है., खसरा नम्बर 308 रकबा 27.86 है., खसरा नम्बर 309 रकबा 12.05 है., खसरा नम्बर 310 रकबा 23.59 है. कुल किता 9 कुल रकबा 166.14 है. अवस्थित ग्राम रामल्यास को राज्य सरकार के पक्ष में अधिग्रहित करने की कार्यवाही करने एवं गजट नोटिफिकेशन के अनुसार वन विभाग के नाम खातेदारी दर्ज करते हुए शेष रकबा सिवायचक बिला लगानी दर्ज करने की नियमानुसार कार्यवाही करने के आदेश दिये हैं । सर्वप्रथम दोनों अपीलों के साथ प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र एवं अपील संख्या 31/2016 के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. प्रकरण के तथ्यों एवं प्रार्थना पत्रों में अंकित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये न्यायहित में स्वीकार किये जाते हैं ।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम समझते हैं कि विवादित भूमि राजकीय सिवायचक भूमि हैं। रिकार्ड दुरूस्ती के माध्यम से अपील संख्या 14/2016 के अपीलान्ट्स सिवायचक भूमि गै.मु. पहाड की खातेदारी अधिकार धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत प्राप्त करना चाहते हैं, जो विधि विरूद्ध है । दूसरी अपील संख्या 31/2016 के अपीलान्ट विवादित भूमि जरिये इकरारनामा क्रय करने से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार बनाकर सुनवाई हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कराना चाहते है । विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत केवल लिपिकीय त्रुटियों को ही दुरूस्त किये जाने का प्रावधान है । विवादित भूमि में खातेदारी अधिकारों संबंधी विवादकों का निस्तारण धारा 136 एल.आर.एक्ट के अन्तर्गत विधिक रूप से नहीं हो सकता । अधीनस्थ न्यायालय ने भी प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्य, परिस्थितियों, प्रस्तुत किये गये दस्तावेजात तथा दौराने सुनवाई विद्वान अधिवक्ता एवं पैरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्क वितर्कों को ध्यान में रखते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत होना नहीं पाये जाने से प्रार्थना पत्र बाबत रिकार्ड दुरूस्ती अस्वीकार किया है तथा तहसीलदार नीमकाथाना को आदेश दिया गया कि सहकारी कृषि समिति टोडा के सदस्यों के नाम से दर्ज भूमि खसरा नम्बर 7/1 रकबा 2.72 है., खसरा नम्बर 8/1 रकबा 1.77 है., खसरा नम्बर 304 रकबा 3.65 है., खसरा नम्बर 305/5 रकबा 3.84 है., खसरा नम्बर 306/1 रकबा 22.27 है., खसरा नम्बर 307 रकबा 18.39 है., खसरा नम्बर 308 रकबा 27.86 है., खसरा नम्बर 309 रकबा 12.05 है., खसरा नम्बर 310 रकबा 23.59 है. कुल किता 9 कुल रकबा 166.14 है. अवस्थित ग्राम रामल्यास को राज्य सरकार के पक्ष में अधिग्रहित करने की कार्यवाही करने एवं गजट नोटिफिकेशन के अनुसार वन विभाग के नाम खातेदारी दर्ज करते हुए शेष रकबा सिवायचक बिला लगानी दर्ज करने की

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णयानुसार कार्यवाही करने के आदेश दिये हैं , जो उचित एवं विधिसम्यक है तथा दोनों अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है । परिणामस्वरूप दोनों अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)

अति. सम्भागीय आयुक्त

जयपु